न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

102/2018

मुकदमा संख्या 102/16 विविध

बैंक ऑफ बड़ौदा, सार्दुलगंज, बीकानेर जरिये अधिकृत अधिकारी

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. मैसर्स करणी फर्नीचर प्रो. श्री द्वारकाप्रसाद जांगीड़,सुजानदेसर रोड़, खुड़ा रोड़ के पास, बीकानेर
2. श्रीमत देवकी देवी जांगीड़ पत्नि मांगीलाल जांगीड़, मोहल्ला उस्तान सुथारो की बड़ी गुवाड़, बीकानेर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः—

1 प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री राजीव लोचन सुथार।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री घनश्याम दास उपाध्याय।

: आ दे श :

दिनांक 01.10.19

1. प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी** को ऋण सुविधा के तौर पर **दिनांक 15.03.13 को रूपये 12,00,000/— की राशि** उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में **अप्रार्थी/ऋणी द्वारा श्रीमती देवकीदेवी पत्नि मांगीलाल जांगीड़ की मोहल्ला उस्तान सुथारो की बड़ी गुवाड स्थित आवासीय संपत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफनल 195 दर गज** को प्रार्थी **बैंक** के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। **अप्रार्थी** द्वारा **प्रार्थी/बैंक** के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते को दिनांक **30.03.18** को **एन.पी.ए.** धोषित कर दिया गया व **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते में **रूपये 12,64,408/— दिनांक 10.05.18 तक** ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे **बैंक** के विरूद्ध बकाया निकलते है। **अप्रार्थी/ऋणी** के ऋण खाते को **एन.पी.ए.** धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** को दिनांक **10.05.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना—पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **बैंक** को दिया गया। प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया गया है कि **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** द्वारा प्रार्थी **बैंक** के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी **बैंक** को दिलाया जावे। प्रार्थी **बैंक** द्वारा इस प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना—पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. **प्रार्थी/ बैंक** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **बैंक** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में धारा 13(2) की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी को बैंक द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यदि बैंक द्वारा नोटिस दिया जाता तो उसकी कुरियर रसीद, डाक रसीद, पावती या डाक ट्रेक रिपोर्ट या नोटिस इनकारी रिर्मा का लिफाा संलग्न होता। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य शामिल नहीं है जिससे यह साबित हो कि नोटिस मियादी 60 दिवस प्रार्थी को प्राप्त हो चुका हो। प्रार्थी को नोटिस प्राप्त होता तो वह नोटिस का जवाब देता अथवा डीआरटी में अपील कर सकता था। अप्रार्थी के साथ दुर्भावनावश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राशि की गणना सही नहीं की गयी है। ना ही प्राकृति न्याय के सिद्धांतो की पालना की गयी है। बैंक द्वारा अधिनियम की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को वरवक्त बहस 13(2) का नोटिस प्रस्तुत करने, नोटिस की कुरियर रसीद, डाक रसीद, पावती कार्ड, या डाक ट्रेक रिपोर्ट अथवा नोटिस इंनकारी रिमार्क का लिफाफा प्रस्तु करनने हेतु कहने के बावजूद वे प्रस्तु नहीं कर पाये। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

5. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक सरफेसी अधिनियम की पालना करते हुए पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

6. आदेश आज दिनांक **01.10.2019** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला कलक्टर, बीकानेर